

No. 317-01/2012-STG III  
Government of India  
Ministry of Communications & IT  
Department of Telecommunications  
Sanchar Bhawan, 20 Ashoka Road, New Delhi 110001

Dated: 24<sup>th</sup> May, 2013

**ORDER**

**Subject: Non-functional up-gradation of officers in HAG of ITS group-A w.e.f. 07.08.2012.**

The President is pleased to grant Non-functional up-gradation to the following officers of ITS Group-A in the HAG scale of ₹ 67,000-79,000/- w.e.f. 07.08.2012:

Sl. No.	Staff No	Name (S/Sh/Ms)
1	2091	AJAY KUMAR JAIN
2	2097	D P MISHRA
3	2100	PRAMOD K. MITTAL
4	2103	BRIJESH K. MITTAL
5	2105	PRABHASH SINGH
6	2106	SUNIL KUMAR
7	2120	N CHANDRA SEKHARA
8	2142	G K AUDHYA
9	2170	BINOD KUMAR SINHA
10	2179	G. VENKATESWAR REDDY
11	2185	P. NAGARAJU
12	2090	GAUTAM CHAKRAVARTY
13	2092	DEBI PRASAD DE
14	2093	NARENDRA KUMAR SINGH
15	2094	RAM NARAIN
16	2096	BAL KISHAN
17	2098	SHIVA LAL SINGH
18	2109	P.V. MURALIDHAR
19	2113	M S R SARMA
20	2114	PRABIR K. GHOSH
21	2116	TEWARI CHANDRA GUPTA
22	2121	PRADEEP KUMAR
23	2122	DAMODRA K RAO
24	2124	L. ANANTHARAM
25	2126	CHANDRA S BHANOT
26	2117	V SAMPATH KUMAR
27	2129	ASHOK KUMAR DESARKAR
28	2130	ARUN GOLAS
29	2133	LABH SINGH
30	2135	SHEO PRASAD SHUKLA
31	2137	AWADESH C. MISHRA
32	2139	DEO PAL SINGH
33	2140	P.V. SABESAN
34	2143	UPENDRA N MAHALIK
35	2145	N. KM. POONGUZHALI


Contd ...2/-

No 317-01/2012-STG-III

Dated: 24<sup>th</sup> May 2013

Sl. No.	Staff No	Name (S/Sh./Ms.)
36	2149	BAL RAJ
37	2151	MADAN MOHAN
38	2152	RAMESH C ARYA
39	2155	MOHAN LAL

2. On Non-functional up gradation there will be no change in the place of posting of the above mentioned officers and they will continue to remain in their present place of posting.
3. In accordance with DoP&T OM No. AB 14017/64/2008-Estt. (RR) dated 24<sup>th</sup> April 2009:
  - I. The up-gradation granted under these orders are purely non-functional up-gradation, personal to the officer and it does not bestow any right to the officer to claim promotion or deputation benefits based on non-functional up-gradation in such a manner.
  - II. Pay fixation on grant of non-functional up-gradation under these orders has to be done as per the provisions of CCS (RP) Rules, 2008. At the time of regular promotion to this grade, the pay need not be fixed again for the officers who have been granted up-gradation under these orders.
4. The above promotion order is being issued after obtaining the vigilance clearance from the Vigilance branch, DoT HQ. However, in case it comes to the notice of the Controlling Authority that any disciplinary/prosecution case is pending against the officer or the officer is under suspension, or any punishment of stoppage of increment etc is in operation against the officer, he should not be promoted without obtaining the specific approval of this Department. Information in this regard may be brought to the notice of the Department forthwith.

  
24/5/2013

(N R Bishnoi)  
Director (Staff)

Tel - 23036645/Fax-23372560

Contd...3/-

No 317-01/2012-STG-III

Dated: 24<sup>th</sup> May 2013

Copy to:

1. PS to MOC&IT/MOS(C&IT)(D)/ Chairman (TC)
2. Member (S)/(T), Advisor (T)/(O), DoT
3. CMD, BSNL/MTNL, New Delhi
4. Sr. DDG (TEC), New Delhi
5. CGM Concerned.
6. DDG (Estt.) /Director (Staff)/US (SGT) DoT
7. Officers concerned.
8. CA to Advisor (HRD),DoT/ AAO (STG- I), DoT
- ✓ 9. Director (IT) for uploading the same on DoT Website/ Order bundle



(Edward Toppo)  
Section Officer (STG-III)  
Tele.: 2303 6876

Handwritten  
27/5/13

ADG(IT)

115/Dir(IT)/13  
24/5



सं 317-01/2012-एस टी जी -III  
भारत सरकार  
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
दूरसंचार विभाग  
संचार भवन, 20 अशोका रोड, नई दिल्ली 110001

दिनांक : 24.05.2013

आदेश

विषय : दिनांक 07.08.2012 से भारतीय दूरसंचार सेवा समूह 'क' के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में गैर प्रकार्यात्मक उन्नयन।

राष्ट्रपति, भारतीय दूरसंचार सेवा समूह 'क' के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को 07.08.2012 से और इस संबंध में आगे कोई आदेश जारी किए जाने तक, उच्च प्रशासनिक ग्रेड के ₹67,000-79,000/- के वेतनमान में गैर प्रकार्यात्मक उन्नयन प्रदान करते हैं:—

क्रम सं.	स्टाफ सं.	अधिकारियों के नाम (श्री/सर्वश्री/श्रीमति/कुमारी)
1.	2091	अजय कुमार जैन
2.	2097	डी पी मिश्रा
3.	2100	प्रमोद कु. मित्तल
4.	2103	बृजेश कु. मित्तल
5.	2105	प्रभाष सिंह
6.	2106	सुनील कुमार
7.	2120	एन चन्द्र सेखरा
8.	2142	जी के औध्या
9.	2170	बिनोद कुमार सिन्हा
10.	2179	जी. वेंकटेश्वर रेड्डी
11.	2185	पी. नागाराजू
12.	2090	गौतम चक्रवर्ती
13.	2092	देबी प्रसाद डे
14.	2093	नरेंद्र कुमार सिंह
15.	2094	राम नाराइन
16.	2096	बल किशन
17.	2098	शिव लाल सिंह
18.	2109	पी. वी. मुरलीधर
19.	2113	एम एस आर शर्मा
20.	2114	प्रबिर के. घोष
21.	2116	तेवरी चन्द्र गुप्ता
22.	2121	प्रदीप कुमार
23.	2122	दामोदरा के राव
24.	2124	एल. अनन्तराम
25.	2126	चन्द्र एस भानीट

क्रम सं.	स्टाफ सं.	अधिकारियों के नाम (श्री/सर्वश्री/ (श्री/सर्वश्री/श्रीमति/कुमारी))
26.	2117	व्ही संपत कुमार
27.	2129	अशोक कुमार देसारकर
28.	2130	अरुण गोलास
29.	2133	लाभ सिंह
30.	2135	शेओ प्रसाद शुक्ल
31.	2137	अवधेश सी मिश्रा
32.	2139	देव पात्र सिंह
33.	2140	पी व्ही सबेसन
34.	2143	उपेंद्र एन महालीक
35.	2145	एन. के. एम. पूंगुझाली
36.	2149	बल राज
37.	2151	मदन मोहन
38.	2152	रमेश सी आर्य
39.	2155	मोहन लाल

2. उपरोक्त अधिकारियों के गैर प्रकार्यात्मक उन्नयन होने पर उनके पदस्थपना के स्थान में कोई बदलाव नहीं होगा और वे अपने वर्तमान पदस्थपना के स्थान पर बने रहेंगे।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 अप्रैल 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए बी 14017/64/2008-स्थापना (आर आर) के अनुसार:-

- I. इन आदेशों के तहत प्रदान किया गया उन्नयन पूर्णतः गैर प्रकार्यात्मक उन्नयन है और अधिकारी के लिए वैयक्तिक है तथा यह अधिकारी के इस प्रकार से गैर प्रकार्यात्मक उन्नयन के आधार पर उन्हें पदोन्नति या प्रति नियुक्ति लाभों का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।
- II. इन आदेशों के तहत गैर प्रकार्यात्मक उन्नयन प्रदान किए जाने पर इन अधिकारियों के वेतन का निर्धारण केन्द्रीय सचिवालय सेवा (आरपी) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। अधिकारी जिन्हें इन आदेशों के तहत उन्नयन प्रदान कर दिया गया है उनकी इस श्रेणी में नियमित पदोन्नति के समय पुनः वेतन निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

4. उपरोक्त गैर प्रकार्यात्मक उन्नयन आदेश सतर्कता शाखा, दूरसंचार विभाग मुख्यालय से सतर्कता निकासी प्राप्त करने के पश्चात जारी किया जा रहा है। तथापि, यदि नियंत्रण अधिकारी को यह पता चलता है कि उक्त अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनिक/ अभियोजन मामला लंबित है अथवा, अधिकारी निलांबनधीन या उसकी वेतन वृद्धि इत्यादि रोके जाने संबंधी कोई कार्यवाही उसके खिलाफ चल रही है, तो उसे विभाग के विशिष्ट अनुमोदन के बगैर पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिए। इससे संबंधित सूचना तत्काल विभाग के आलोक में लायी जाए।



(एन आर बिशनोई)  
निदेशक (अमला)

दूरभाष सं. 23036645 फैक्स -23372560

प्रति सेवा में.

1. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री/संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (डी)/अध्यक्ष (दूरसंचार आयोग) के निजी सचिव
2. सदस्य (सेवाएं)/(तकनीक), सलाहकार (तकनीक)/(प्रचालन)/अतिरिक्त सचिव, दूरसंचार विभाग
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भा सं नि लि/ म दू नि लि, नई दिल्ली
4. सभी वरिष्ठ उपमहानिदेशक (टी ई सी), नई दिल्ली
5. उप महानिदेशक (स्थापना)/निदेशक (अमला)/अवर सचिव (एस जी टी), दूरसंचार विभाग
6. सभी संबद्ध अधिकारी/मुख्य लेखा अधिकारी
7. अवर सचिव (सतर्कता-II)/ सलाहकार (एचआरडी), दूरसंचार विभाग के गोपनीय सचिव/ सहायक लेखा अधिकारी (एस टी जी-I), दूरसंचार विभाग
8. आदेश बंडल
9. निदेशक (आई टी), इस आदेश को दूरसंचार विभाग के वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए

*पटेल*

(एडवर्ड टोपो)

अनुभाग अधिकारी (एस टी जी III)

दूरभाष सं. 23036876

